संख्या-80 /2017/80/21-3-2017-18/2016

प्रेषक,

जे०पी०त्रिवेदी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,

नया हैदराबाद,लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये गैर-वेतन मद के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के क्रिया -कलापों हेतु गैर-वेतन मद में लेखानुदान के माध्यम से प्रविधानित धनराशि **रू0 17.08लाख (रूपये सत्रह लाख आठ हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाय ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी । उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में दिये गये हैं।

4. उपरोक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक: 31 मार्च, 2018 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

5. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा –आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कालेजों और संस्थानों को सहायता -06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 20-मार्च, 2017के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे०पी०त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या- 80(1)/21-3-2017-18/2016, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
8. भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव(भाषा) ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।